।। श्री गणेशाय नमः ।।

15989/0 (2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294097

UP TREASURY UP 24 DEC 2003 Sr. T. O. MATHURA UP UP

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम....मौजा नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 1.517 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन.नहीं
6. बोरिंग/कुआ/अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 2998500/–.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 2998500/–रूपये
9. स्टाम्प देय 210000/–रूपये
10. सरकारी दर भूमि सड़क के सहारे होने की वजहसे 800000/—–रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 63 क्रमांक 47 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम/द्वितीय

क्रमांक 152 दिनांक 25/12/14 मूल्य 25000/-

नाम श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र S/O महेश चन्द

पता कृष्णानगर मथुरा

नरेन्द्र 25/12/14

नरेश कुमार जाकड़
सहायक रोकड़िया
कोषागार, मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294098

(2)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द अग्रवाल निवासी कृष्णानगर मथुरा

क्रेता की संख्या ( )

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी कर्न्सोटियम लिमिटेड 111,श्रीजमुनाधाम मथुरा द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुना प्रसाद जी निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

मैं कि राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द अग्रवाल निवासी कृष्णानगर मथुरा का हूं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294099

TREASURY UP

(3)

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–76 व खसरा नंबर–127 रकवा 1.444 हैक्टेयर व खसरा नंबर–129 रकवा 0.073 हैक्टेयर कुल दो किता रकवा 1.517 हैक्टेयर लगानी रूबरू कागजात बाकै मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत मेरी है जिसको मैंने अन्य आराजी सहित बजरिये बैनामा दिनांक–15.3.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 2609 के सफा 259/274 नंबर–2099 पर हुआ, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल आदि से खरीदी और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जो आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294100

UP TREASURY UP

(4)

हिंस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 2998500/—उन्तीस

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294101

TREASURY UP 24 DEC 2009 Sr. T. O. MATHURA UP

(5)

लाख अठ्ठानवे हजार पांच सौ रूपये जिसके आधे 1499250/-चौदह लाख निन्यानवे हजार दो सौ पचास रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी कन्सोर्टियम लिमिटेड 111,श्रीजमुनाधाम मथुरा द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुना प्रसाद जी निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार से ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के तीन किता चैक प्रथम नबर-599062 तादादी 1098500/-रूपये द्वितीय नंबर-599063 तादादी 1400000/-रूपये तृतीय नंबर-599064 तादादी 500000/-रूपये तीनों चैक दिनांक-24.12.2009 द्वारा पाकर बेची गई उक्त आराजी पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294102

(6)

खरीदार का बाकई कव्जा व कव्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कव्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबांबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294103

UP TREASURY UP

24 DEC 2009

St. T.O. MATHURA

UP UP

(7)

जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है बिक्रित कृषि भूमि पर कृषि अनवरत रूप से चल रहा है वर्तमान में भी खेती हो रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेंड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया हैं। उक्त

क्रमांक 148 दिनांक 24/12/09 मूल्य 25/-

नाम श्री........................ पुत्र........

पता........................ h'. (152)

24/12/09

डॉ०नरेश कुमार जाकड़
सहायक रोकडिया
कोषागार, मथुरा

विक्रय पत्र

2,998,500.00/	2,999,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती राजीव कुमार अग्रवाल
पुत्र / पत्नी श्री महेशचन्द अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी कृष्णानगर मथुरा
अस्थायी पता कृष्णानगर मथुरा .
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 26/12/2009 समय 12:43PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
26/12/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती राजीव कुमार अग्रवाल
पुत्र/पत्नी श्री महेशचन्द अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी कृष्णानगर मथुरा

क्रेता
श्री/श्रीमती एस जे पी रेजीडेन्सी सुदीप कुमारअग्रवाल
प्रतिनिधि श्री रासबिहारी
पुत्र/पत्नी श्री जमुनाप्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी 111 जमुना धाम कालौनी मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री रिचा अग्रवाल
पुत्र श्री राजीव कुमार अग्रवाल
पेशा गृहिणी
निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा
व श्री राजुउददीन
पुत्र श्री रमजानी
पेशा मजदूरी
निवासी गोपाल नगर मथुरा
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
26/12/2009

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294104

(8)

आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शाया गया है। तसदींकी मुख्तारनामा आम दि0–5.5.2008 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 2 के सफा

क्रमांक 145 दिनांक 24/12/14 मूल्य 2500

नाम श्री.......... पुत्र..........

पता..........

24/12/14

डॉ० नरेश कुमार जाकड़
सहायक रोकड़िया
कोषागार, मथुरा

विक्रेता

Registration No 15989 Year : 2009 Book No. 1

0101 राजीव कुमार अग्रवाल

महेशचन्द अग्रवाल

कृष्णानगर मथुरा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 186024

TREASURY UP
17 DEC 2009
UP UP

(9)

15/29 पर नंबर–10 पर दिनांक–5.5.2008 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुना प्रसाद जी निवासी 82, जमुनाधाम गोवर्धन रोड, ,मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। खर्चा बेनामा स्टाम्प फीस आदि विकेता ने अदा किया है।

क्रमांक 43 28/12/2020 ... को ... 2002
नाम ...
संलग्न सं० राजीव कुमार S/o महेशचन्द
कृष्णा नगर मथुरा

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं० 7 सन 1983
दफ्तर रजिस्ट्री आफिस मथुरा

क्रेता

Registration No. 15989 Year : 2009 Book No. 1

0201 एस जे पी रेजीडेन्सी सुदीप कुमारअग्रवाल प्रतिनिधि रासबिहारी
जमुनाप्रसाद
111 जमुना धाम कालौनी मथुरा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L. 186025

UP TREASURY UP
17 DEC 2009
Sr. T.O.
UP MATHURA UP

(10)

लिहाज़ा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–24.12.2009
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

Raju

गवाह राजेन्द्र
गोपाल
मथुरा

गवाह
Richa Agarwal
67, Shri Jamuna Dham
Mathura

क्रमांक 58 दि० 24/12/2009 को०
नाम
संलग्न सं० 53 नि०

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता ला० नं० 7 सन 1983
कचहरी रजिस्ट्री आफिस मथुरा

आज दिनांक **26/12/2009** को

बही सं **1** जिल्द सं **6182**

पृष्ठ सं **393** से **414** पर कमांक **15989**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
26/12/2009

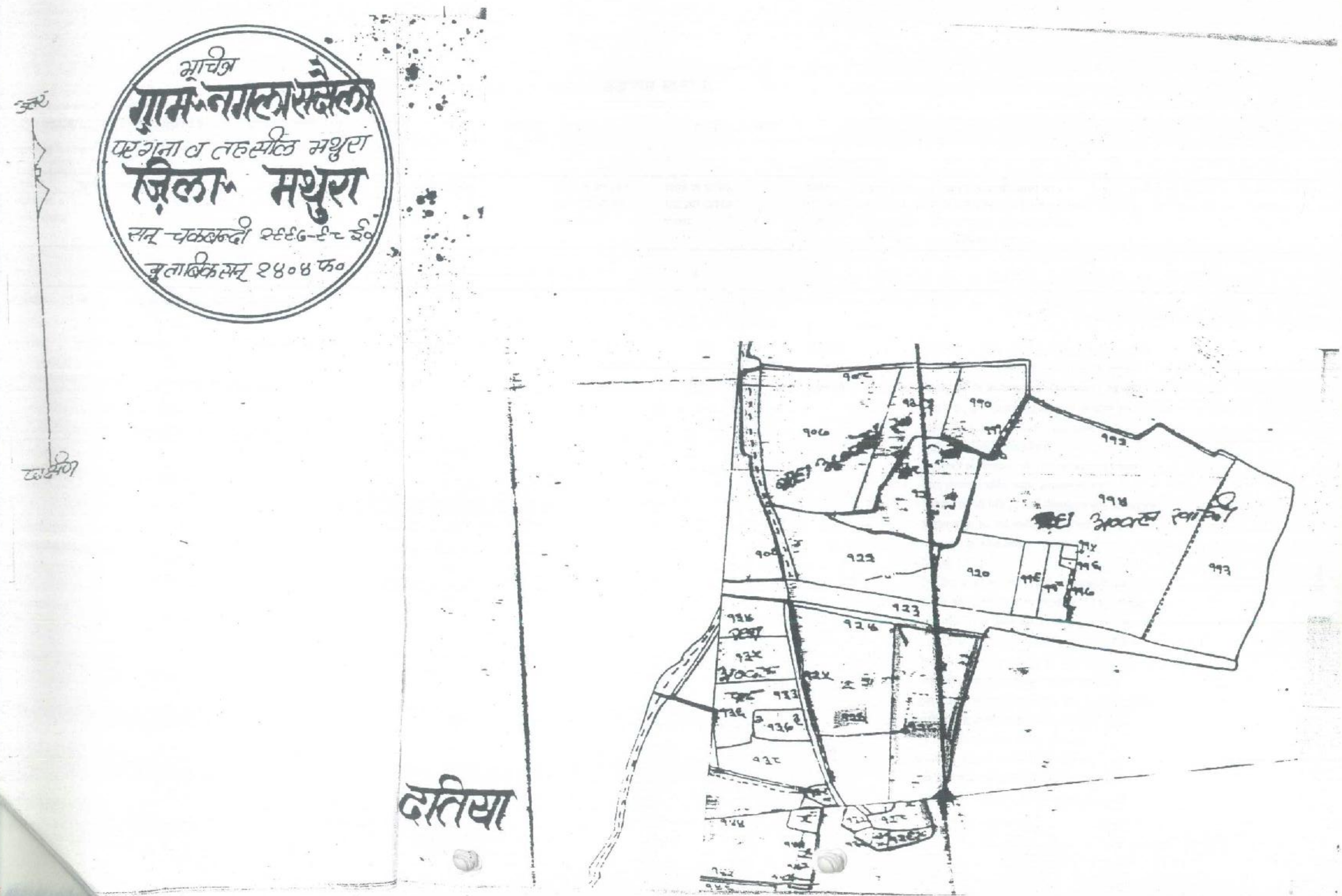
भूचित्र
ग्राम- नगला सदैला
परगना व तहसील मथुरा
ज़िला- मथुरा
सन् चकबन्दी १९९६-९८ ई०
मुताबिक सन् १४०४ फ०
उत्तर
दक्षिण
दतिया
123

उद्धरण खतौनी

ग्राम-क्रमांक : 07010200116 ग्राम का नाम : नगला सदोला परगना मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00076	राजीव कुमार अग्रवाल	महेश चन्द अग्रवाल	नि.कृष्णा नगर मथुरा	1411फ 1411फ 1411फ	129 126 127	0.0730 1.4450 1.4440		1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1291 TM ता फे 06.08.12 के अनुसार खाता सं0 76 के खसरा सं0 126 रकबा 1.445हे0 लगान 60ख से विक्रेता राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र महेशचन्द अग्रवाल नि0 कृष्णा नगर मथुरा का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी कन्सोंटियम लि0 111 श्री जमुनाधाम मथुरा द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद जी नि0 111 श्री जमुनाधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 26.12.09 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह र का 06.08.12 1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1290 TM ता फे 06.08.12 के अनुसार खाता सं0 76 के खसरा सं0 127 रकबा 1.444 व 129 रकबा 0.073 कुल 2 किता रकबा 1.517हे0 से विक्रेता राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र महेशचन्द अग्रवाल नि0 कृष्णा नगर मथुरा का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी कन्सोंटियम लि0 111 श्री जमुनाधा मथुरा द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्रीजमुनाप्रसाद जी नि0 111 श्री जमुनाधाम कालोनी गोवर्धनचौराहा मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 26.12.09के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह र का 06.08.12	

10200116 ग्राम का नाम : नगला सदोला परगना मथुरा तहसील : सदर

मथुरा फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

...ी ...म संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देव मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1		2		3	4	5	6	7-12	13
				कुल गाटे :	3 कुल क्षे :	2.9620	49.65		

हस्ताक्षर

2012

खसरा

ग्राम नगला सदोला ..... परगना व तहसील ..... जिला मथुरा ..... सन् १४१६ फसली

खेती की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टे0 में या बन्दी बस्ती बीघा में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खाते दारों का नाम आदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएँ	कृषक भूमि फसली वाली का क्षेत्रफल									दो फसली क्षेत्रफल		मिलान खसरा के स्तम्भों के अनुसार आकृषिक (बिना फसल वाली भूमि का ब्यौरा)		प्रत्येक खेत के पूरे बढ़े हुये वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
						खरीफ			रबी			जायद								
							क्षेत्रफल			क्षेत्रफल			क्षेत्रफल							
						फसल का नाम	सिंचा हुआ	अनसिंचा	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अनसिंचा	फसल का नाम	सिंचा हुआ	अनसिंचा	सिंचा हुआ	अनसिंचा	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
३२५	१-४४५	६६	राजीव कुमार (अग्रवाल)	X	[illegible]	—	—	—	सरसो	१-४४५	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X
३२६	१-४४४	६६	राजीव कुमार		[illegible]	—	—	—	सरसो	१-४४४	—	—	—	—	—	—	—	—		
३२८	०-०६३	६६	राजीव कुमार		[illegible]	—	—	—	सरसो	०-०६३	—	—	—	—	—	—	—	—		

सत्य प्रतिलिपि
प्रति मुताबिक [illegible]

[signature]
17-12-09
[illegible]

उद्धरण खतौनी

र क्रमांक : 07010200116 ग्राम का नाम : नगला सदोला परगना : मथुरा तहसील : सदर

पद : मथुरा फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

ता तौनी न संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------			3	4	5	6	7-12	13
ते : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
)76	राजीव कुमार अग्रवाल	महेश चन्द अग्रवाल	नि.कृष्णा नगर मथुरा	1411फ	129	0.0730			
				1411फ	126	1.4450			
				1411फ	127	1.4440			
				कुल गाटे :	3 कुल क्षे :	2.9620	49.65		

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या–२९७/2011–2012

एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी कन्सोटियम द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0
मौजा नगला सदोला

७।७।७ **आदेश**

प्रार्थी एस0जे0पी0रेजीडेन्सी कन्सोटियम द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र जमुना प्रसाद अग्रवाल निवासी श्री जमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक– 3.7.2012 में अंकित किया गया है कि मौजा नगला सदोला, तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–76 खसरा संख्या 126 रकबा 1.445हे. खसरा संख्या–127 रकवा 1.444हे. व खसरा संख्या–129 रकवा 0.073हे. कुल 03 किता रकबा 2.962हे. भूराजस्व 20.70 रुपये के संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, वागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है।.उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक–5.7.2012 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा नगला सदोला, तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–76 खसरा संख्या 126 रकबा 1.445हे. खसरा संख्या–127 रकवा 1.444हे. व खसरा संख्या–129 रकवा 0.073हे. कुल 03 किता रकवा 2.962हे. भूराजस्व 20.70 रुपये के एस0जे0पी0रेजीडेन्सी कन्सोटियम द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र जमुना प्रसाद अग्रवाल निवासी श्री जमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा तहसील व जिला मथुरा संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन कुक्कुटपालन व पशुपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है, बल्कि आवादी के प्रयोग की रह गई है। विकास प्राधिकरण एवं अन्य किसी सरकारी योजना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0बि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक–5.7.2012 के आधार पर मौजा नगला सदोला, तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–76 खसरा संख्या 126 रकवा 1.445हे. खसरा संख्या–127 रकवा 1.444हे. व खसरा संख्या 129 रकबा 0.073हे. कुल 03 किता रकवा 2.962हे. भूराजस्व 20.70 रुपये को जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पृवृत्त नियमों निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। नायब तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखो में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

7/9/12
(हवलदार यादव)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

(हवलदार यादव)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

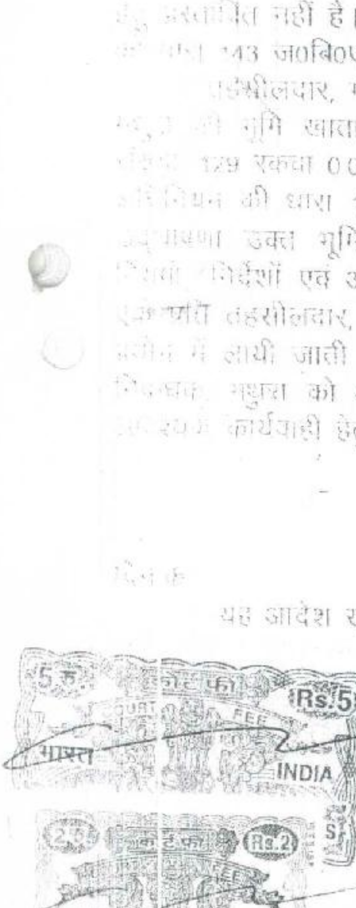

सत्य प्रतिलिपि

अहलमद, उपजिलाधिकारी
मथुरा
24/9/2012